632

# राजस्थान सरकार
## नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.5 (2) नविवि/3/99 जयपुर दिनांक : 13.11.2001

### आदेश

जयपुर शहर सहित प्रदेश के अन्य शहरों/नगरों के क्षेत्रों में गृह निर्माण सहकारी समितियों/खातेदारों/अन्य व्यक्तियों द्वारा कृषि भूमियों पर मास्टर प्लान एवं नगर नियोजन के स्वीकृत मानदण्डों के विपरीत नई-नई कॉलोनियां नियोजित कर/बनाकर आवासीय/ वाणिज्यिक आदि के प्रयोजनार्थ भूखण्ड बेचे जा रहे हैं जिनके संबंध में संबंधित निकायों से न तो अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किये गये हैं और न ही योजनाओं का अनुमोदन करवाया गया है इतना ही नहीं देखने में आया है कि अधिकांशतः ऐसे मामलों में कॉलोनियों के लिए मूलभूत सुविधाओं के पर्याप्त उपलब्धि के प्रावधान भी नहीं रखे गये हैं।

ऐसे अनाधिकृत मामलों को रोकने/अंकुश लगाने के लिए प्रचलित नियमों/प्रकिया के विपरीत गृह निर्माण सहकारी समितियां/खातेदार व अन्य व्यक्ति जो बड़े पैमाने पर ऐसे कृत्य में लिप्त हैं उन्हें रोकने और प्लाटों के खरीददारों के हितों के रक्षार्थ निम्न कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:-

1. जिन गृह निर्माण समितियों/खातेदारों/अन्य व्यक्तियों द्वारा कृषि भूमि पर कॉलोनियां काटकर आवासीय, व्यावसायिक सहित अन्य प्रयोजनार्थ भूखण्ड काटे जा रहे हैं तथा जयपुर विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यासों/सम्बन्धित नगर निगम एवं नगर परिषदों और पालिकाओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बगैर योजनाओं के अनुमोदन व तत्संबंधित अन्य औपचारिकताएं पूरी किये बिना ऐसी खरीद फरोख्त कर रहे हैं उन प्रकरणों को न तो नियमित किया जाए और न ही ऐसे मामलों में कोई भी निकाय निर्माण की स्वीकृति प्रदान करे।

2. बिन्दु संख्या 2 में उल्लेखित ऐसे अवैध कृत्यों को संबंधित निकाय चिन्हित करने के लिए तत्काल सर्वे शुरू कर उन्हें प्रभावशील नियमों और आदेशों के अनुसरण में नोटिस जारी करने की नियमानुसार कार्यवाही प्रारम्भ करें।

3. जयपुर विकास प्राधिकरण सहित राज्य के समस्त नगर विकास न्यास, नगर निगम, नगर परिषदें और सम्बन्धित पालिकाऐं अपने क्षेत्र में ऐसे स्थलों पर या उनके आसापास जहां इस तरह प्लाट काट कर बेचे जा रहे हैं वहां आम उपभोक्ता (प्लाट क्रेताओं) के हितों की रक्षा के लिये बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगवाकर ऐसे चेतावनी के सूचना पट्ट लगाये कि

.....(सम्बन्धित निकाय का नाम).....

(20)

"सार्वजनिक चेतावनी"

इस स्थान पर प्लाट खरीदना व बेचना गैर कानूनी है। इन प्लाटों पर निर्माण की स्वीकृति नहीं दी जायेगी तथा इन पर किया गया निर्माण ध्वस्त कर दिया जावेगा

सचिव/आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी
(संस्था के अनुसार उल्लेख किया जाए)

4. सम्बन्धित निकाय पैरा 2 के लिए आगामी एक माह में सर्वे करवाकर ऐसे प्रकरण हर दशा में चिन्हित कर लें साथ ही अपनी सीमाओं में इस प्रकार की कृषि भूमियों को अधाप करने सम्बन्धित कार्यवाही भी नियमानुसार आरम्भ की जावें।
5. जिन सहकारी समितियों द्वारा इस आदेश के जारी होने से पूर्व अपनी योजनाएं मय ले-आउट प्लान एवम् अन्य औपचारिकताओं को पूरी करके संबंधित स्थानीय निकाय/नगर विकास न्यास/जयपुर विकास प्राधिकरण को पूर्व में प्रेषित की है तो ऐसे प्रकरणों पर नियमन की कार्यवाही की जा सकेगी।
6. नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निजी कृषि भूमियों पर नई आवासीय योजनाओं की स्वीकृती की क्रियान्वति करने के संबंध में अलग से दिशा निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

(एच.एस. भारद्वाज)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय नगरीय विकास विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर-जयपुर शहर में अनाधिकृत कॉलोनियों पर उपरोक्तानुसार अंकुश लगाने हेतु जयपुर नगर निगम के अधिकारियों की भी सहायता ली जा सकती है।
4. समस्त संभागीय आयुक्त।
5. समस्त जिला कलेक्टर।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम, जयपुर-आवश्यकता होने पर जयपुर विकास प्राधिकरण के साथ-साथ आपके अधिकारियों को भी अनाधिकृत कॉलोनियों पर अंकुश लगाने के कार्य में लगाया जावे।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने स्तर से समस्त नगर परिषद/नगर पालिका को सूचित करने की व्यवस्था करें।
8. सचिव नगर विकास न्यास.....।
9. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव